प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 75/2023)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने "एक्सेस सेवाओं (वायरलेस तथा वायरलाइन) और ब्राडबैंड (वायरलेस तथा वायरलाइन) सेवाओं के लिए सेवा की गुणवत्ता मानकों की समीक्षा" पर परामर्श पत्र जारी किया।

नई दिल्ली, दिनांक 18 अगस्त, 2023 : भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने "एक्सेस सेवाओं (वायरलेस तथा वायरलाइन) और ब्राडबैंड (वायरलेस तथा वायरलाइन) सेवाओं के लिए सेवा की गुणवत्ता मानकों की समीक्षा" पर परामर्श पत्र जारी किया।

1. भादूविप्रा अधिनियम 1997, प्राधिकरण को दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का आदेश जारी करता है। तदनुसार, भादूविप्रा ने दूरसंचार सेवाओं के लिए सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) मानकों के लिए निम्नलिखित विनियमों को अधिसूचित किए है।

   (i) *''बुनियादी टेलीफोन सेवा(वायरलाइन) और सेल्यलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की सेवा की गुणवत्ता के मानक विनियमन, 2009*

   (ii) *ब्रॉडबैंड सेवा की सेवा की गुणवत्ता विनियम 2006 और*

   (iii) *वायरलैस डाटा सेवाओं के लिए सेवा की गुणवत्ता के मानक विनियम, 2012 ।*

   4-जी जैसी नई प्रौद्योगिकियों के सम्मलित होने के आधार पर इन विनियमों को समय समय पर संशोधित किया गया है।

2. भादूविप्रा को ग्राहकों से कॉल ड्राप और अन्य नेटवर्क समस्याओं विशेषकर 5जी सेवाओं की शुरुआत के बाद से काफ़ी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। त्रैमासिक सेवा की गुणवत्ता मानक प्रदर्शन रिपोर्ट के विस्तृत विशलेषण पर, प्राधिकरण ने गौर किया कि एलएसए (लाइसेंस सेवा क्षेत्र) जैसे बड़े क्षेत्र में एक तिमाही की लंबी प्रदर्शन मूल्यांकन अवधि के कारण, ऐसे पॉकेट या क्षेत्र हो सकते हैं जहां औसत प्रभाव के कारण सेवा की खराब गुणवत्ता का अनुभव हो सकता है, जबकि सेवा प्रदाता एलएसए स्तर पर समग्र क्यूओएस बेंचमार्क को पूरा कर रहे हैं।

3. तदनुसार सेवा की गुणवत्ता की स्थिति को क़रीब से देखने के लिए, इस मसौदा में मासिक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर, लाइसेंस सेवा क्षेत्र स्तर के अतिरिक्त, सेवा की गुणवत्ता प्रदर्शन के रिपोर्टिंग का प्रस्ताव है।

4. वॉयस और डेटा सेवाओं के लिए सेवा की गुणवत्ता मापदंड और बेंचमार्क वर्तमान विनियम में प्रौद्योगिकी अगनोस्टिक हैं। 5जी के सेवा की गुणवत्ता प्रदर्शन की निगरानी करने के लिए मसौदा विनियमों में 5जी सेवाओं के लिए उपयुक्त शब्दावली को भी अद्यतन किया गया है।

5. देश में 2जी और 3जी नेटवर्क की तुलना में 4जी और 5जी नेटवर्क व्यापक कवरेज प्रदान कर रहे हैं, इसलिए उपभोक्ता अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए 4जी और 5जी सेवाओं के लिए सख्त प्रदर्शन मानदंड, विशेष रूप से कॉल ड्रॉप से संबंधित, प्रस्तावित हैं।

6. अच्छी सेवा की गुणवत्ता के लिए नेटवर्क उपलब्धता महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ता को निर्बाध सेवाएं मिलें, सेवा प्रदाता की नेटवर्क उपलब्धता के विरुद्ध प्रदर्शन की निगरानी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर करने का प्रस्ताव है।

7. सेवा की गुणवत्ता के लिए विनियम ढांचे(फ्रेमवर्क) को सरल बनाने के लिए, सभी वॉयस और डेटा सेवाओं के लिए सेवा की गुणवत्ता के मानकों से संबंधित एकल विनियमन का प्रस्ताव है, यानी वायरलाइन और वायरलेस दोनों सेवाओं के लिए, फिर भले ही उनके एक्सेस माध्यम कुछ भी हों। तदनुसार, वर्तमान तीन विनियमों को एकल विनियम में विलय करने का प्रस्ताव है।

8. उपरोक्त संदर्भ में और सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) से संबंधित सभी प्रासंगिक मुद्दों को समग्र तरीके से संबोधित करने के लिए, प्राधिकरण 'हितधारकों' की टिप्पणियां मांगने के लिए यह परामर्श पत्र जारी कर रहा है। परामर्श पत्र पर हितधारकों से दिनांक 20 सितंबर, 2023 तक लिखित टिप्पणियाँ आमंत्रित हैं। प्रति टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, दिनांक 05 अक्टूबर, 2023 तक प्रस्तुत की जा सकती हैं। टिप्पणियाँ और प्रति टिप्पणियाँ, अधिमानतः इलेक्ट्रानिक रूप में ईमेल पते adv-qos1@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं।

9. परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट **www.trai.gov.in** पर अपलोड कर दिया गया है।

10. किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री तेजपाल सिंह, सलाहकार (सेवा की गुणवत्ता-1) भादूविप्रा से दूरभाष सं0 +91-11-23236516 पर संपर्क किया जा सकता है।

वि. रघुनंदन

(वि० रघुनन्दन)
सचिव, भादूविप्रा
18 अगस्त, 2023